# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक–27.05.18 के द्वारा श्री प्रेमाराम मेघवाल, व्याख्याता हिन्दी का स्थानांतरण राउमावि जैसलमेर से राउमावि खुहडी, जैसलमेर किया गया था । उक्त स्थानांतरण आदेश में सहवन से श्री प्रेमाराम मेघवाल को स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता एवं योगकाल दिये जाने का उल्लेख नहीं किया जा सका ।

उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध श्री प्रेमाराम द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील सं. 932/2018 दायर की गई । अपील में मुख्य बिन्दु इन्हें यात्रा भत्ता एवं योगकाल नहीं दिये जाने को ही बनाया गया । माननीय अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक– 18.06.18 के द्वारा विभाग के स्थानांतरण आदेश दिनांक–27.05.18 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए विभाग को नवीन आदेश प्रसारित कर प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित में नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल अनुज्ञेय करते हुए स्थानांतरित/पदस्थापित करने के लिये स्वतंत्रता दी है ।

अतः माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक–18.06.18 को पारित निर्णयानुसार श्री प्रेमाराम मेघवाल का पदस्थापन राउमावि खुहडी, जैसलमेर किया जाता है । श्री प्रेमाराम को उक्त पदस्थापन पर यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्थानान्तरण/2018–19/ दिनांक– 3.7.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत्

1. शासन सचिव–शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)/कार्मिक(क–5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. सम्बन्धित शिक्षा उप निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक) .....
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक प्रथम/द्वितीय
5. जिला शिक्षा अधिकारी, विधि जयपुर
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
7. संबधित अधिकारी/कार्यालय/संस्थाप्रधान

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा – माध्य / संस्था / सी–2 / स्थानान्तरण / वाणिज्य–इतिहास / 2018 दिनांकः 27.05.18 से श्रीमती रेणू बेरी, व्याख्याता (रसायन विज्ञान) का राउमावि वैशालीनगर अजमेर से राउमावि बांदनवाडा अजमेर स्थानान्तरण किया गया था । श्रीमती रेणू बेरी द्वारा उक्त आदेश दिनांकः 27.05.18 के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 863 / 2018 रेणू बेरी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य प्रस्तुत की गई । अपील संख्या 863 / 2018 में पारित निर्णय दिनांकः 14.06.2018 से माननीय अधिकरण द्वारा कार्यालय आदेश दिनांकः 27.05.18 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया गया है ।

अतः माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय की पालना में कार्यालय आदेश क्रमांकः शिविरा – माध्य / संस्था / सी–2 / स्थानान्तरण / वाणिज्य–इतिहास / 2018 दिनांकः 27.05.18 को अपीलार्थी श्रीमती रेणू बेरी की सीमा तक निरस्त किया जाता है।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

**क्रमांक शिविरा / मा / संस्था / सी–4 / रजीगृ / स्थाना / निरस्त / 2018–19** दिनांक 03-7-18

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :–

1. संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक शिक्षा) अजमेर
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अजमेर
3. संबंधित संस्था प्रधानाचार्य राउमावि वैशालीनगर / बांदनवाडा–अजमेर
4. संबंधित कार्मिक श्रीमती रेणू बेरी व्या0 रसायन विज्ञान
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत् ।
5. निजी / रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर